"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 509/डी. 18/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-01-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012

विषय-सूची

धाराएं

विवरण

अध्याय-एक

प्रारंभिक

अध्याय-दो

खाद्य सुरक्षा के प्रावधान

अध्याय-तीन

विशेष समूहों के लिए पात्रता

अध्याय-चार

भूख की दशा में तत्काल राहत

अध्याय-पांच

राज्य सरकार की योजनाएं

अध्याय-तेरह
अपराध एवं शास्ति

25. अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन.
26. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

अध्याय-चौदह
विविध

27. खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.
28. अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन.
29. अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति.
30. नियम बनाने की शक्ति.
31. विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड का बना रहना.
32. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.
33. अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व.
34. अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं.

अनुसूची-एक
अनुसूची-दो

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012

राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) कहलायेगा. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "आंगनबाड़ी" से अभिप्रेत है भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत धारा 4, धारा 5 की उप-धारा (1) एवं धारा 7 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देख-रेख एवं विकास केन्द्र ;

(ख) "अन्त्योदय परिवार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन इस रूप में पहचान किये गए परिवार ;

(ग) "आश्रम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल ;

(घ) "केन्द्र सरकार" से अभिप्रेत है भारत सरकार ;

(ङ) "केन्द्रीय पूल" से अभिप्रेत है खाद्य सामग्रियों का भण्डार जो—

(एक) न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त;

(दो) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसी अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं, के अधीन आवंटित किये जाने हेतु संधारित ;

(तीन) उप-खण्ड (दो) में निर्दिष्ट योजनाओं हेतु आरक्षित रखा गया हो.

(च) "जिलाधीश" से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित जिलाधीश ;

(छ) "निराश्रित व्यक्ति" से अभिप्रेत है पुरुष, स्त्री या बालक जिनके पास खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन, साधन तथा सहारा नहीं है जो ऐसी स्थिति में उन्हें जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जिसके फलस्वरूप उनका जीना कठिन हो या भूख से मरना पड़े ;

(ज) "आपदा" का वही अर्थ होगा, जैसा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (घ) में उसके लिए यथा समनुदेशित है;

(झ) "पात्र परिवार" से अभिप्रेत है या तो अन्त्योदय परिवार या एक प्राथमिक परिवार या एक सामान्य परिवार;

(ञ) "अपवर्जित परिवार" से अभिप्रेत है परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिये पात्र नहीं हैं ;

(ट) "उचित मूल्य की दुकान" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी एक आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान ;

(ठ) "खाद्यान्न" से अभिप्रेत है चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके अन्य सम्मिश्रण, जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल है ;

(ड) "सामान्य परिवार" से अभिप्रेत है ऐसे परिवार जो न तो अन्त्योदय परिवार हैं न प्राथमिकता परिवार और न ही अपवर्जित परिवार ;

(ढ) "आवासहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है तथा जो ऐसे सड़क किनारे पटरियों पर, या ऐसे अन्य स्थानों में या खुले प्रांगण में रहते हैं, जिसमें आवासहीनों, भिखारियों के लिए बने आश्रय या ऐसे अन्य स्थलों में निवास करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ;

(ण) "छात्रावास" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा ;

(त) "स्थानीय निकाय" में सम्मिलित हैं, पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी या अन्य कोई निकाय, चाहे उसे जिस किसी भी नाम से जाना जाए, जो संविधान के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है या विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्व-शासन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रशासकीय सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय ;

(थ) "भोजन" से अभिप्रेत है अन्य कल्याणकारी योजनाओं में यथा विहित गरम पका हुआ अथवा तुरंत खाने योग्य भोजन या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री ;

(द) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य, जिस पर केन्द्रीय पूल अथवा राज्य पूल के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियों द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जाती है ;

(ध) "गैर अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित नहीं हैं ;

(न) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ;

(प) "अन्य कल्याणकारी योजनाओं" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं, जिनके अन्तर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता हो ;

(फ) "विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अन्तर्गत पात्रताओं के प्रयोजन हेतु धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस रूप में पहचान किये गये परिवारों का समूह ;

(ब) "नि:शक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन नि:शक्त के रूप में परिभाषित व्यक्ति ;

(भ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(म) "प्राथमिकता वाले परिवार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के प्रयोजन हेतु धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत इस रूप में पहचान किये गये परिवार ;

(य) "पक्का मकान" से अभिप्रेत है ऐसे मकान जिनकी छत सीमेन्ट कांक्रीट से निर्मित हो;

(कक) "राशन कार्ड" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज ;

(खख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

(गग) "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र ;

(घघ) "योजना" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु निर्मित कोई योजना या कार्यक्रम ;

(ङङ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार ;

(चच) "राज्य पूल" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय पूल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित खाद्य सामग्रियों का भण्डार ;

(छछ) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनायी गयी प्रणाली ;

(जज) "निगरानी समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धारा 24 के अन्तर्गत गठित एक समिति ;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं, परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या अन्य किसी सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं.

अध्याय-दो
खाद्य सुरक्षा के प्रावधान

अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार.

3. (1) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 15 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार एवं सामान्य परिवार ऐसे खाद्य पदार्थ की ऐसी मात्रा ऐसी रियायती दरों पर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट है.

(2) इस धारा के अधीन उपबंधित पात्रताएं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएंगी.

गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता.

4. धारा 13 तथा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता निम्नलिखित हेतु पात्र होंगी :—

(क) अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के पश्चात् छः माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन.

(ख) योजना के अनुसार मातृत्व लाभ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिया जाएगा, जैसा कि उस योजना में विहित किया जाए.

बच्चों के लिए पोषाहार सहायता.

5. (1) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, चौदह वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को उसकी पोषाहार आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी :—

(क) छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु अनुसार निःशुल्क उपयुक्त भोजन, ताकि अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट मानक पोषाहार की पूर्ति हो सके :

परंतु छः माह से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्णतः स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा.

(ख) छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की दशा में, सरकार, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक, अनुसूची-दो में यथाविनिर्दिष्ट पोषाहार मानक की पूर्ति हेतु, विद्यालय के अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन, निःशुल्क मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय, एवं आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं होंगी:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, यदि आवश्यक समझा जाए, तो शहरी क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए केन्द्रीय पाकशाला की सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा.

छात्रावासों तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता.

6. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, छात्रावास या आश्रम में निवास करने वाले प्रत्येक छात्र ऐसे खाद्य पदार्थों को ऐसी मात्राओं में तथा ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाए, प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.

बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन.

7. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण से ग्रस्त बालकों की पहचान कर, उन्हें निःशुल्क उपयुक्त भोजन प्रदाय करेगी.

अध्याय-तीन
विशेष समूहों के लिए पात्रता

विशेष समूहों के लिए पात्रताएं.

8. निम्नलिखित विशेष समूहों को निम्नानुसार पात्रता होगी, अर्थात् :—

(क) **निराश्रित—**समस्त निराश्रित व्यक्ति, योजना के अनुसार एवं ऐसी रीति से, जैसा कि ऐसी योजना में विहित किया जाए, प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे;

(ख) **आवासहीन**— प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति, योजना के अनुसार एवं ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे;

(ग) **प्रवासी**— राज्य सरकार प्रवासियों और उनके परिवारों को, जो किसी भी स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हों, इस अधिनियम के अधीन उन्हें पात्रताओं का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, प्रयास करेगी;

(घ) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन पात्रताएं, केवल तभी लागू होंगी, जब वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाएं :

परन्तु कोई व्यक्ति या परिवार, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन लाभ के पात्र नहीं होंगे:

(ङ) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन पात्रताओं को अधिसूचित करेगी.

आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिये पोषाहार सहायता.

9. यदि राज्य सरकार की राय में आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है, तो प्रभावित सभी परिवारों को, ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, तीन माह की अवधि के लिए प्रतिदिन, दो समय का भोजन, निःशुल्क उपलब्ध करायेगी.

अध्याय-चार
भूख की दशा में तत्काल राहत

भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु मार्गदर्शिका.

10. राज्य सरकार, भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, यदि कोई हों, को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए, मार्गदर्शिका तैयार करेगी तथा अधिसूचित करेगी.

भूख की दशा में राहत प्रदाय करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व.

11. धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचित मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, जैसा की अधिसूचित किया जाए, के अंतर्गत भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, यदि कोई हों, को भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होंगे.

भूख से तत्काल राहत.

12. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 11 के अधीन पहचान किये गये सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, अर्थात् :—

(क) पहचान किये जाने की तारीख से, छः माह तक, ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, प्रतिदिन दो समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जायेगा;

(ख) अन्य कोई राहत, जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो.

अध्याय-पांच
राज्य सरकार की योजनाएं

पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन.

13. अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अध्याय-चार के अधीन आने वाली पात्रताओं की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ सम्मिलित होगा—

(क) धारा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को, निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(ग) धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कक्षा आठवीं तक के छात्रों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(घ) धारा 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छात्रों को खाद्य सामग्री प्रदाय करने हेतु योजना;

(ङ) धारा 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुपोषित बच्चों को भोजन प्रदाय करने हेतु योजना;

(च) धारा 8 एवं अध्याय-चार में यथा विनिर्दिष्ट निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों को स्थापित किये जाने हेतु योजना;

(छ) धारा 9 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन प्रदाय करने हेतु योजना;

(ज) अध्याय-चार के अंतर्गत पहचान किये गये व्यक्तियों, निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को, नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा संधारित किये जाने वाले खाद्यान्न के ऐसे सुरक्षित भंडार संधारित किये जाने हेतु योजना, जैसा कि ऐसी योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छ: माह के भीतर ऐसी समस्त योजनाओं को अभिसूचित करेगी.

अध्याय-छ:
राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व

राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व.

14. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार, इस अधिनियम में अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्रा, जो भी अधिक हो, के लिए पात्र होंगे.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार, इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थ ऐसे मूल्य पर, जो भी कम हो, प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

(3) इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (7) अथवा इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, पात्र परिवारों या खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की पात्रता या खाद्य पदार्थों के मूल्यों के विद्यमान मापदण्ड को उपांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा.

(4) राज्य सरकार, समस्त अतिरिक्त व्यय जो कि इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (7) अथवा इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के प्रवर्तन के फलस्वरूप उपगत हो सकेगा, के वहन के लिए उत्तरदायी होगी.

अध्याय-सात

अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान

परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.

15. (1) उप-धारा (3) एवं उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शिका तैयार करेगी तथा ऐसी मार्गदर्शिका को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगी.

(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन उनकी पात्रता के उद्देश्य से विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान हेतु मार्गदर्शिका तैयार करेगी, तथा ऐसी मार्गदर्शिकाओं को राजपत्र में अधिसूचित करेगी:

परंतु विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में निम्नलिखित परिवार निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार ;

(ख) समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है;

(ग) समस्त परिवार जिसके मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं;

(घ) समस्त परिवार जिसके मुखिया एक नि:शक्त व्यक्ति हैं;

(ङ) समस्त परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है;

(च) समस्त परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर हैं;

(छ) परिवारों का कोई अन्य समूह, जैसा कि विहित किया जाए.

(3) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रवर्गों के सभी परिवार प्राथमिकता वाले परिवार निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार, खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र होंगे;

(ख) भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार;

(ग) सीमान्त एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार;

(घ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं;

(ङ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं.

(4) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के संबंध में परिवारों के अपवर्जन का मानदंड समय-समय पर विहित कर सकेगी:

परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों के सभी परिवार अपवर्जित परिवार के रूप में निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) समस्त ऐसे परिवार, जिनके मुखिया या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता है;

(ख) गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि धारक समस्त ऐसे परिवार;

(ग) समस्त ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में ऐसा पक्का मकान धारित करते हैं जो एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का हो, तथा/या स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार संपत्ति कर के भुगतान हेतु दायी हों;

(घ) विहित किए गए मानदंडों के अनुसार ऐसे अन्य परिवार, जिन्हें अपवर्जित किया जा सकेगा.

(5) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में संदर्भित मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार, समय-समय पर, अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करेगी:

परंतु विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के समस्त परिवार अन्त्योदय परिवार के रूप में निर्दिष्ट किये जाएंगे:

परंतु यह और कि उप-धारा (4) के अधीन विहित मानदंड के अनुसार अपवर्जित परिवार अन्त्योदय परिवार या प्राथमिकता परिवार या विशेष कमजोर सामाजिक समूह के रूप में निर्दिष्ट नहीं किये जाएंगे.

(6) अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची को राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अद्यतन किया जाएगा.

(7) परिवारों की सूची, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होकर उसके अतिरिक्त होगी.

अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन.

16. अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची को राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जैसी कि विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा तथा प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

अध्याय-आठ
महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अट्ठारह वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी.

17. (1) प्रत्येक पात्र परिवार में, परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला, जो अट्ठारह वर्ष की आयु से कम न हो, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जायेगी.

(2) किसी भी समय, जहां किसी परिवार में कोई महिला या अट्ठारह वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु की कोई महिला न हो, किन्तु अट्ठारह वर्ष की आयु से कम आयु की कोई

महिला सदस्य हो, तो राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा, और महिला सदस्य, अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर परिवार की मुखिया होगी तथा उसका नाम उस पुरुष सदस्य के स्थान पर राशन कार्ड में प्रतिस्थापित किया जाएगा.

अध्याय-नौ
स्थानीय निकायों की भूमिका

स्थानीय निकायों की भूमिका.

18. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय, निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे दायित्व जिसे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा स्थानीय निकायों को समनुदेशित करे, जिसमें अन्य बातों के साथ, सम्मिलित होगा—

(एक) पात्र परिवारों की पहचान.

(दो) यथाविहित पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना.

(तीन) उचित मूल्य दुकानों की ऐसी रीति से निगरानी एवं पर्यवेक्षण, जैसा विहित किया जाए.

(चार) धारा 23 के अधीन विहित मार्गदर्शिका के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करना.

(ख) निराश्रितों और आवासहीन व्यक्तियों का ऐसी रीति में चिन्हांकन एवं उनको सहायता उपलब्ध कराना, जैसा कि विहित किया जाए.

(ग) स्थानीय निकाय, ऐसे कर्तव्यों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु जवाबदेह होंगे, जैसा कि ऐसे योजना के अधीन उनको समनुदेशित किया जाए, जैसा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.

अध्याय-दस
शिकायत निवारण प्रणाली

आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली.

19. राज्य सरकार, एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारी की पदस्थापना या ऐसे अन्य तंत्र, जैसा कि विहित किया जाए, सम्मिलित हो सकेगा.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना.

20. इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों और व्यक्तियों को पात्रताएं उपलब्ध कराने के प्रावधान को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जायेगा तथा समस्त ऐसी सेवाएं, ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी, जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाये.

अध्याय-ग्यारह
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.

21. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम में इसके लिए परिकल्पित भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु उत्तरोत्तर प्रयास करेगी.

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को द्वार पहुंच सेवा द्वारा प्रदाय करना;

(ख) सभी स्तरों में होने वाले संव्यवहारों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपयोजन की रोकथाम करने के क्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों, जिसमें संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण भी सम्मिलित है, का प्रयोग;

(ग) इस अधिनियम के अधीन हितग्राहियों हेतु उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटिरहित चिन्हांकन हेतु "आधार" का उपयोग करना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित मूल्य दुकानों को अनुज्ञप्ति प्रदाय करने में सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे पंचायत, स्व-सहायता समूह, सहकारिता को प्राथमिकता देना; तथा निजी व्यापारियों को प्रतिबंधित करना;

(च) समय के अंतराल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सामग्रियों का विस्तार (विविधता);

(छ) खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार (बफर स्टॉक) संधारित करना.

अध्याय-बारह
पारदर्शिता एवं जवाबदेही

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन.

22. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं योजनाओं से संबंधित सभी अभिलेख, ऐसी रीति में सार्वजनिक पटल (क्षेत्र) पर रखे जाएंगे तथा सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुले रखे जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए.

स्थानीय निकाय द्वारा सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करना.

23. प्रत्येक स्थानीय निकाय या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के संचालन का सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करेगा अथवा करवायेगा तथा उसके निष्कर्षों (परिणामों) को सार्वजनिक करेगा तथा ऐसी रीति में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जैसी विहित की जाए.

निगरानी समिति.

24 (1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं उसके उचित संचालन तथा उक्त प्रणाली में कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अन्तर्गत बनाये गये, तत्समय प्रवृत्त, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य, जिला, विकासखण्ड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करेगी, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग को सम्यक् प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा विहित किया जाये.

(2) निगरानी समिति, निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में, सूचना देना;

(ग) उसके द्वारा प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग या किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में, सूचना देना.

(घ) उपरोक्त खण्ड (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट किसी उल्लंघन की लिखित में सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर, धारा 25 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे विषय की जांच के लिए अग्रसर होगा.

अध्याय-तेरह
अपराध एवं शास्ति

25. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को पात्रताएं प्रदान करने संबंधी समस्त कार्यवाही, समय-समय पर यथा संशोधित, तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के द्वारा विनियमित होगी. **अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन.**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, तथा संसद द्वारा निर्मित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, यदि एवं जब भी आवश्यक समझे, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन कर सकेगी एवं ऐसा संशोधन राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी.

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी.

26. यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड हेतु दायी होगा. **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड.**

अध्याय-चौदह
विविध

27. इस अधिनियम के प्रावधान, राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने से प्रवारित नहीं करेंगे. **खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.**

28. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उसके (इस अधिनियम के) द्वारा प्रयुक्त किये जाने योग्य शक्तियां, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जो कि उक्त अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, इसके (राज्य सरकार के) अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी. **अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन.**

29. (1) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची-एक या अनुसूची-दो में संशोधन कर सकेगी तथा इसके बाद अनुसूची-एक या अनुसूची-दो, जैसी भी स्थिति हो, तद्नुसार संशोधित कर दी गयी समझी जायेगी. **अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति.**

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

30. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार.

(ख) धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों को उनकी पात्रताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिये उनकी पहचान करने हेतु मार्गदर्शिका.

(ग) रीति जिसमें धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पात्र परिवारों की सूचियों को अद्यतन किया जाएगा.

(घ) धारा 19 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली.

(ङ) रीति जिसमें धारा 22 के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक पटल में रखा जायेगा एवं सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुला रखा जायेगा.

(च) रीति जिसमें धारा 23 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा.

(छ) धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निगरानी समिति के गठन का विवरण.

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है अथवा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाना है.

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये या जारी किये गये प्रत्येक नियम, अधिसूचना और मार्गदर्शिका इसके बनाये जाने या जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड का बना रहना.

31. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर विद्यमान योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड, उस तिथि तक प्रवृत्त एवं प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड उपांतरित/विनिर्दिष्ट नहीं कर दिये जाते:

परन्तु उक्त योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया या की गई मानी जायेगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य या कार्यवाही द्वारा जब तक अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता है तब तक प्रवृत्त रहेंगे.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

32. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जो कि उसे कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान होने के पश्चात्, इस धारा के अन्तर्गत कोई भी आदेश जारी नहीं होगा.

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

33. इस अधिनियम के अन्तर्गत पात्र प्राथमिकता परिवारों या सामान्य परिवारों या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन के प्रदाय व्यवस्था के विफल होने के कारण उद्‌भूत हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति, चाहे जो भी हो, जहां प्रदाय व्यवस्था की ऐसी विफलता, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध, बाढ, सूखा, आग, तूफान, भूचाल या कोई अन्य दैवीय कृत्य जैसी दशाओं से हुई हो, के लिए किसी दावे हेतु राज्य सरकार दायी नहीं होगी. **अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व.**

34. इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रताएं, इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना या विधि का किसी भी तरह अल्पीकरण नहीं करेंगी. **अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं.**

अनुसूची-एक
(धारा 3 देखिये)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता

स. क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1.	अन्त्योदय परिवार	खाद्यान्न	35 किग्रा प्रतिमाह	रु. 1 प्रति किग्रा
		आयोडाइज्ड नमक	2 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
		काला चना*	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 5.00 प्रति किग्रा
		दाल**	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 10.00 प्रति किग्रा
2.	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	35 किग्रा प्रतिमाह	रु. 2 प्रति किग्रा
		आयोडाइज्ड नमक	2 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
		काला चना*	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 5.00 प्रति किग्रा
		दाल**	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 10.00 प्रति किग्रा
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान्न	15 किग्रा प्रतिमाह	चावल रु. 9.50 प्रति किग्रा अन्य खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से अनधिक.

टीप :— (1) *काले चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को होगी.

(2) **दाल की पात्रता राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को होगी.

अनुसूची-दो

[धारा 4(क), 5(1) तथा 7 देखिये]

पोषाहार मानक

पोषाहार मानक : एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित "घर ले जाने वाले राशन" या पौष्टिक गरम पका हुआ भोजन या रेडी टू ईट भोजन एवं मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत निम्न एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए पोषाहार मानक निम्नानुसार है :

स. क्र.	वर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (किलो कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष तक)	घर ले जाने वाला राशन	500	12-15
2.	बच्चे (3 से 6 वर्ष तक)	सुबह का नाश्ता और गरम पका हुआ भोजन	500	12-15
3.	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक), जो कुपोषण से ग्रस्त हैं.	घर ले जाने वाला राशन	800	20-25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गरम पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गरम पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती एवं शिशुवती माताएं	घर ले जाने वाला राशन	600	18-20

टीप — 1. अनुशंसित भोजन भत्ते के 50 प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व से फोर्टीफाईड किया हुआ शक्तिपूरक खाद्य.

2. प्रचलित खाद्य विधियों के अनुसार भोजन तैयार किया जायेगा.

3. विनिर्दिष्ट कैलोरी, प्रोटीन मात्रा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त संतुलित एवं पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने हेतु पोषाहार मानक अधिसूचित किया गया है.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 509/डी. 18/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2013)

CHHATTISGARH FOOD SECURITY ACT, 2012

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER-VIII
Women Empowerment

CHAPTER-IX
Role of Local Bodies

CHAPTER-X
Grievance of Redressal Mechanism

CHAPTER-XI
Reforms in Targeted Public Distribution System

CHAPTER-XII
Transparency And Accountability

CHAPTER-XIII
Offences and Penalties

CHAPTER-XIV
Miscellaneous

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2013)

CHHATTISGARH FOOD SECURITY ACT, 2012

An Act to provide for food and nutritional security by ensuring access to adequate quantity of food and other requirements of good nutrition for people of the State, at affordable prices, at all times to live a life with dignity and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
Preliminary

Short title, extend and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Food Security Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Anganwadi" means a child care and development center setup under the Integrated Child Development Services Scheme of the Central Government to render services covered under Section 4, sub-section (1) of Section 5 and Section 7;

(b) "Antyodaya Households" means the households identified as such under sub-section (5) of Section 15 for the purposes of entitlement under Section 3;

(c) "Aashram" means a residential school run by the State Government or any Government aided institution;

(d) "Central Government" means the Government of India;

(e) "Central Pool" means the stock of food items which is—

(i) procured by the State Government or its agency through minimum support prise operations;

(ii) maintained for allocation under the Targeted Public Distribution System, other welfare schemes of the Central Government or the State Government, including calamity relief and such other schemes;

(iii) kept as reserved for schemes referred to in sub-clause (ii).

(f) "Collector" means a collector as defined in clause (ia) of Section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(g) "Destitute Person" means men, women or children who have no resources, means and support required for food and nutrition enabling their survival, to the extent that makes then vulnerable to live with or die of hunger;

(h) "Disaster" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of Section 2 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(i) "Eligible Households" means either an Antyodaya household or a priority household or a general household;

(j) "Excluded Households" means households not eligible for any entitlement under this Act;

(k) "Fair Price Shop" means a shop which is licensed to distribute essential commodities by an order issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), to the ration card holders under the Targeted Public Distribution System;

(l) "Foodgrains" means rice wheat or coarse grains or any combination thereof including wheat flour;

(m) "General Households" means such households which are neither Antyodaya households, priority households nor excluded households;

(n) "Homeless Person" means a person who does not have home and lives as such on the roadside, pavements or in such other places or in the open, including a person living in shelters for homeless or beggars or such other homes;

(o) "Hostel" means any residential facility for students run by the State Government or any Government aided institution;

(p) "Local Body" includes Panchayat, Municipality, District Board, Contonment Board, Town Planning Authority or any other body, by whatever name so called, which is authorized under the Constitution or any other law for the time being in force for self governance or any other authority or body vested with the control and management of civic services, within a specified local area;

(q) "Meal" means hot cooked or ready to eat meal or take home ration as prescribed in the other welfare schemes;

(r) "Minimum Support Price" means the assured price announced by the Central Government at which foodgrains are procured from farmers by the Central Government and the State Government and its agencies, for the central pool or the state pool;

(s) "Non-Scheduled Areas" means areas which are not scheduled areas;

(t) "Notification" means a notification issued under this Act and published in the Official Gazette;

(u) "Other Welfare Schemes" means such Government schemes, in addition to the Targeted Public Distribution System, under which foodgrains or meals are supplied as part of the schemes;

(v) "Particularly Vulnerable Social Group" means a group of households identified as such by the State Government under sub-section (2) of Section 15 for the purpose of entitlements under Section 3;

(w) "Person With Disability" means a person defined as a person with disability under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

(x) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(y) "Priority Households" means the households identified as such under sub-section (3) of Section 15 for the purpose of entitlements under Section 3;

(z) "Pucca House" means a house with roof made of cement-concrete;

(aa) "Ration Card" means a document issued under an order or authority of the State Government for purchase of essential commodities from the fair price shops under the Targeted Public Distribution System;

(bb) "Schedule" means a Schedule appended to this Act;

(cc) "Scheduled Areas" means areas so notified by the Central Government;

(dd) "Scheme" means any scheme or program formulated by the State Government for the purpose of implementation of the provisions of this Act;

(ee) "State Government" means the Government of Chhattisgarh;

(ff) "State Pool" means stock of food items procured and maintained by the State Government, apart from the central pool, to implement the provisions of this Act;

(gg) "Targeted Public Distribution System" means the system for distribution of essential commodities to the ration card holders through fair price shops;

(hh) "Vigilance Committee" means a committee constituted under Section 24 of this Act to supervise the implementation of all schemes under this Act;

(2) The words and expressions not defined here but defined in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), or any other relevant Act shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER-II
Provisions for Food Security

Right to receive food items at subsidized prices by antyodaya households, priority households and general households.

3. (1) Subject to the provision of Section 14, every Antyodaya household, priority household and general household, identified under sub-section (5) of Section 15, shall be entitled to receive such quantities of such food items at such subsidized prices as specified in Schedule-I.

(2) Entitlements provided under this section shall be covered under Targeted Public Distribution System.

4. Subject to the provisions of Section 13 and 14, every pregnant woman and lactating mother shall be entitled to— **Nutritional support to pregnant women and lactating mothers.**

(a) meal, free of charge, during pregnancy and up to six months after childbirth through local anganwadi, so as to meet the nutritional standards as specified in Schedule-II.

(b) maternity benefit in accordance with a scheme, payable in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in that scheme.

5. (1) Subject to the provision of Section 14, every child up to the age of fourteen years shall have the following entitlements for his nutritional needs— **Nutritional support to children.**

(a) In case of children in the age group of six months to six years, age appropriate meals, free of charge, through the local anganwadi so as to meet the nutritional standards as specified in Schedule-II :

Provided that for children below the age af six months, exclusive breast-feeding shall be promoted.

(b) In the case of children in the age group of six to fourteen years, one mid-day meal, free of charge, everyday, except school holidays, in all schools run by local bodies, Government and Government aided schools, up to Class VIII, so as to meet the nutritional standards as specified in Schedule-II.

(2) Every school, referred to in clause (b) of sub-section (1), and local anganwadi shall have facilities for cooking meals, drinking water and sanitation:

Provided that in urban areas facilities of centralized kitchens for cooking meals may be used, wherever required, as per the guidelines issued by the State Government.

6. Subject to the provision of Section 14, every student residing in any Hostel or Aashram shall be entitled to receive such food items in such quantities at such prices as may be prescribed. **Nutritional support to students living in hostels and aashrams.**

7. Subject to the provision of Section 14, the State Government shall, through the local anganwadi, identify and provide appropriate meals, free of charge, to children who suffer from malnutrition, so as to meet the nutritional standards specified in Schedule-II. **Prevention and management of child malnutrition.**

CHAPTER-III
Entitlements of Special Groups

8. The following special groups shall have the following entitlements, namely :— **Entitlements for special groups.**

(a) **Destitute**—All destitute persons shall be entitled to meals every day, free of charge, in accordance with a scheme and in the manner as may be prescribed in such scheme;

(b) **Homeless**— All homeless persons shall be entitled to meals everyday, free of charge, in accordance with a scheme and in the manner as may be prescribed in such scheme;

(c) **Migrants**— The State Government shall endeavour to enable the migrants and their household to claim their entitlements under this Act, at the place where they currently reside, in accordance with a scheme and in the manner as may be prescribed in such scheme;

(d) The entitlements under clauses (a), (b) and (c) shall be applicable only after it is so notified by the State Government:

Provided that persons or households in receipt of similar benefits from Central Government or State Government shall not be entitled to benefits under clauses (a), (b) and (c);

(e) The State Government shall notify the entitlements under clauses (a), (b) and (c) within one year from the date of commencement of this Act.

Nutritional support to emergency or disaster affected persons.

9. The State Government shall, if it is of the opinion that an emergency or disaster exists, provide to all such affected households two meals every day, free of charge, for a period upto three months from the date of disaster in accordance with such scheme and in the manner as may be prescribed in that scheme.

CHAPTER-IV
Immediate Relief In Case of Hunger

Guidelines for providing relief in case of hunger.

10. The State Government shall prepare and notify guidelines for providing meals, free of charge, to persons, households, groups, or communities, if any, suffering from hunger or conditions akin to hunger.

Responsibility of local bodies to provide relief in case of hunger.

11. All local bodies in the State shall be responsible for providing relief in case of hunger to such persons, households, groups, or communities, if any, suffering from hunger or conditions akin to hunger in the geographical area, so notified, under their jurisdiction in accordance with the guidelines notified under Section 10.

Immediate relief from hunger.

12. Subject to the provision of Section 14, all persons, households, groups or communities, identified under Section 11, shall be provided the following, namely :—

(a) meals, two times a day, free of charge, in accordance with a scheme and in the manner as may be prescribed in such scheme, for six months from the date of identification;

(b) any other relief considered necessary by the State Government.

CHAPTER-V
Schemes of State Government

Implementation of schemes for realization of entitlements.

13. The State Government shall notify and implement schemes covering entitlements under section 4, 5,.6, 7, 8, 9 and Chapter-IV of the Act which shall, *inter alia*, include—

(a) A scheme to provide meals, free of charge, to pregnant women and lactating mothers as specified under Section 4;

(b) A scheme to provide meals through local anganwadis, free of charge, to children as specified under clause (a) of sub-section (1) of Section 5;

(c) A scheme to provide mid day meal, free of charge, to students up to class VIII as specified under clause (b) of sub-section (1) of Section 5;

(d) A scheme to provide food items to students as specified under Section 6;

(e) A scheme to provide meals to malnourished children as specified under Section 7;

(f) A scheme providing for setting up of Annapoorna Dal Bhat centers for providing meals, free of charge, to destitute and homeless persons as specified in Section 8 and Chapter-IV;

(g) A scheme to provide meals, free of charge, in emergency and disaster affected persons as specified under Section 9;

(h) A scheme for maintanance of such buffer stock of foodgrains to be maintained by local bodies, to provide meals, free of charge, to persons identified under Chapter-IV destitute and homeless persons, as may be specified in such scheme:

Provided that the State Government shall notify all such schemes within six months from the date of commencement of this Act.

CHAPTER-VI
Financial Responsibility of The State Government

Financial responsibility of the State Government.

14. (1) Any household specified as eligible household under this Act or under any other law for the time being in force, shall be entitled to such quantity of such food items, as specified in this Act or under any other law made by the Parliament in this behalf, whichever is more.

(2) Any household specified as eligible household under this Act or under any other law for the time being in force, shall be entitled to receive such food items at such prices as specified under this Act or under any other law made by the Parliament in this behalf, whichever is less.

(3) To give effect to the provisions of sub-section (1) or (2) of this section or sub-section (7) of section 15 of this Act, necessary order modifying the existing criteria of eligible households or entitlement to receive food items or prices of the food items, shall be issued by the State Government.

(4) The State Government shall be responsible to bear all the additional expenditure that may have to be incurred, due to operation of sub-section (1) or (2) of this section or sub-section (7) of section 15 of this Act.

CHAPTER-VII
Identification of Antyodaya Households, Priority Households and Particularly Vulnerable Social Groups

Power of State Government to issue guidelines with respect to identification of households and particularly vulnerable social groups.

15. (1) Subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4), the State Government may, from time to time, prescribe guidelines for the identification of Autyodaya Households and Priority Households for the purposes of their entitlement under this Act and notify such guidelines in the Official Gazette.

(2) Subject to the provisions of sub-section (4), the State Government may, from time to time, prescribe guidelines for identification of Particularly Vulnerable Social Groups; for the purposes of their entitlement under this Act and notify such guidelines in the Official Gazette:

Provided that the following households shall be designated as households of Particularly Vulnerable Social Groups, namely :—

(a) All households of Particularly Vulnerable Tribal Groups as notified by the Central Government from time to time;

(b) All households headed by a widow or a single woman;

(c) All households headed by a terminally ill person;

(d) All households headed by a person with disability;

(e) All households headed by a person of sixty years of age or more with no assured means of subsistence or social support;

(f) All households headed by a person released from bonded labour;

(g) Any other group of households as may be prescribed.

(3) Subject to the provision of sub-section (4), all households belonging to the following categories shall be designated as priority households, namely :—

(a) All households which are eligible to receive food items as per the criteria specified under the Mukhyamantri Khadyanna Sahayata Yojana, to the extent of their entitlements under the Mukhyamantri Khadyanna Sahayata Yojana, on the date of commencement of this Act;

(b) All households of landless agricultural labourers;

(c) All households of small farmers and marginal farmers;

(d) All households headed by a person registered as an unorganized labour under the provisions of the Unorganised Worker's Social Security Act, 2008 (33 of 2008);

(e) All housсholds headed by a person registered as contruction worker under the provisions of the Building and Other Construction workers (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996).

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3), and subject to the provisions of Section 14, the State Government may, from time to time, prescribe criteria for exclusion of households from availing any entitlements under Section 3 of this Act:

Provided that all households belonging to the following categories shall be designated as excluded households, namely :—

(a) All such households in which the head of the household or any other member of the household is an Income Tax payee;

(b) All such households in non-scheduled areas, who hold more than 4 hectares of irrigated land or more than 8 hectares of non-irrigated land.

(c) All such households who owns such a pucca house in urban areas, which has a carpet area of more than one thousand square feet, and/ or liable to pay property tax as per prevailing rules of the local bodies.

(d) Any such other households, which may be excluded, as per the criteria, as may be prescribed.

(5) The State Government shall, from time to time, identify Antyodaya households, priority households and households of Particularly Vulnerable Social Groups in accordance with the guidelines referred to in sub-section (1) and (2):

Provided that all households of Particularly Vulnerable Social Groups shall be designated as Antyodaya households:

Provided further that no excluded household, as per the criteria prescribed under sub-section (4) shall be designated as an Antyodaya household or priority household or a household of Particularly Vulnerable Social Group.

(6) The list of Antyodaya households, priority households and households of Particularly Vulnerable Social Groups shall be updated by the State Government in such manner as may be prescribed.

(7) The list of households shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Display of list of antyodaya, priority and general households in the public doman.

16. The list of identified Antyodaya households, priority households and households of perticularly Vulnerable Social Groups shall be placed by the State Government in the public doman and displayed prominently in the manner as may be prescribed.

CHAPTER-VIII
Women Empowerment

Women of eighteen years of age or above to be head of the household for the purpose of issuance of ration cards.

17. (1) The eldest woman who is not less than the age of eighteen years, in every eligible household, shall be head of the household for the purpose of issue of the ration card.

(2) Where a household, at any time, does not have a woman or a woman of eighteen years of age or above, but has a female member below the age of eighteen years of age, then the eldest male member of the household shall be the head of the household for the purpose of issue of ration card and the female member, on attaining the age of eighteen years, shall become the head of the household and her name shall be substituted in the ration card in place of such male member.

CHAPTER-IX
Role of Local Bodies

Role of local bodies.

18. All local bodies in the State shall be responsible for the following functions for implementation of the provisions of this Act, namely :—

(a) Such reponsibilities which the State Government may, by notification, assign to the local bodies for implementation of Targeted Public Distribution System, which shall, inter alia, include—

(i) Identification of eligible households.

(ii) Issuing ration cards to eligible households as prescribed.

(iii) Monitoring and supervision of fair price shops in a manner as may be prescribed.

(iv) Conducting social audit of the fair price shops in accordance with the guidelines prescribed under Section 23.

(b) Identification of and providing relief to destitute or homeless persons in a manner as may be prescribed.

(c) The local bodies shall be resopnsible for discharging such duties, functions and responsibilities as may be assigned to them under such scheme as may be prescribed by the Government for the implementation of this Act.

CHAPTER-X
Grievance Redressal Mechanism

Internal grievance redressal mechanism.

19. The State Government shall put in place an internal grievance redressal machanism which may include call centres, help lines, designation of nodal officers, or such other mechanism as may be prescribed.

Notification of services under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011.

20. Provision of entitlements to eligible households and persons under this Act shall be notified as services to be provided under the Chattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), and all such services shall be provided in a manner and within such time limits as may be notified under the said Act.

CHAPTER-XI
Reforms in Targeted Public Distribution System

Power of the State Government to undertake necessary reforms in the Targeted Public Distribution System.

21. (1) The State Government shall endeavour to progressively undertake necessary reforms in the Targeted Public Distribution System in consonance with the role envisaged for it in this Act.

(2) The reforms shall, *itner alia,* include—

(a) doorstep delivery of all food items to the fair price shops;

(b) application of information and communication technology tools including end-to-end computerization in order to ensure transparent recording of transactions at all levels, and to prevent diversions;

(c) leveraging "aadhaar" for unique identification for proper targeting of beneficiaries under this Act;

(d) full transparency of records;

(e) preference to public institutions or public bodies such as Panchayats, Self Help Groups, Co-operatives and prohibition of private traders in licensing of fair price shops;

(f) diversification of commodities under the Public Distribution System over a period of time: .

(g) maintenance of adequate buffer stock of food items.

CHAPTER-XII
Transparancy and Accountability

Disclosure of records related to Targeted Public Distribution System.

22. All records related to Targeted Public Distribution System and schemes shall be placed in the public domain and kept open for inspection to the public in such manner as may be prescribed.

Local bodies to conduct periodical social audit.

23. Every local body or any other authority or body, as may be authorized by the State Government, shall conduct or cause to be conducted, periodic social audits on the functioning of fair price shops, Targeted Public Distribution System and other welfare schemes, shall publicise its findings and take necessary action in such manner as may be prescribed.

24. (1) For ensuring transparency and proper functioning of the Targeted Public Distribution System and accountability of the functionaries in such system, the State Government shall setup Vigilance Committees as specified in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004 made under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), for the time being in force, at the State, District, Block and fair price shop level consisting of such members, as may be prescribed, giving due representation to the local authorities, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women and destitute persons or persons with disability. **Vigilance Committee.**

(2) The Vigilance Committees shall perform following functions, namely :—

(a) regularly supervise the implementation of all schemes undet this Act;

(b) inform the Collector, in writing of any violation of the provisions of this Act;

(c) inform the Collector, in writing of any violation or misappropriation of funds or stocks found by it;

(d) the Collector on being informed in writing of any violation specified in clause (b) or (c) above shall proceed to inquire in to such matter in a manner as specified under Section 25.

CHAPTER-XIII
Offences and Penalties

25. (1) All actions related to providing entitlements to all eligible households under section 3, shall be regulated by the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004 as amended from time to time. **Regulation of actions Providing entitlement under the Act.**

(2) Subject to the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and without prejudice to any law made by the Parliament, for the time being in force, the State Government may, if and wherever deem necessary, suitably amend provisions of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) order 2004, and notify such amendment in the Official Gazette, for the purpose of regulation of implementation of the provisions of section 3 of this Act.

(3) Every notification issued under sub-section (1), shall be laid as soon as may be after it is issued, before the State legislative Assembly.

26. If any person contravenes any of the provisions of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004 as specified under section 25 of the Act, shall be liable for punishment under relevant provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955). **Punishment for contravening provisions of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004.**

CHAPTER-XIV
Miscellaneous

27. The provisions of this Act shall not preclude the State Government from continuing or formulating other food based welfare schemes. **Power of the State Government to continue or formulate food based welfare schemes.**

28. The State Government may, by notification, direct that the powers exercisable by it, except the powers to make rules, in such circumstances and subject to such conditions and limitations, be exercised also by an officer subordinate to it as it may specify in this behalf in the said notification. **Delegation of powers under the Act.**

Power to amend Schedules. 29. (1) If the State Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, by notification, amend Schedule-I or Schedule-II and thereupon Schedule-I or Schedule-II, as the case may be shall be deemed to have been amended accordingly;

(2) Every notification issued under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the State Legislative Assembly.

Power to make Rules. 30. (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudic to the generality of the forgoing powers such rule may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) reforms in Targeted Public Distribution System.

(b) Guidelines for identification of Antyodaya households, priority households, and households of Particularly Vulnerable Social Groups, for the purpose of their entitlements, under sub-section (1) of section 15.

(c) manner in which the lists of eligible households shall be updated under sub-section (3) of section 15.

(d) internal grievance redressal machanism under Section 19.

(e) manner in which the Targeted Public Distribution System related records shall be placed in public domain and kept open for inspection to public under Section 22.

(f) manner in which social audit on the functioning of fair price shops, Targeted Public Distribution System and other welfare schemes shall be conducted under Section 23.

(g) detials of constitution of vigilance committees under sub-section (1) of Section 24.

(h) any other matter which is to be, or may be, prescribed or in respect of which provision is to be made by the State Government by rules.

(3) Every rule, order, notification or guidelines made or issued by the State Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislative Assembly.

Continuation of the existing schemes, guidelines, order and food standards. 31. The schemes, guidelines, orders and food standards, existing on the date of commencement of this Act, shall continue to be in force and operate till such schemes, guidelines, orders and food standards are modified specified under this Act or the rules made thereunder :

Provided that anything done or any action taken under the said schemes, guidelines, orders and food standards shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or by any action taken under this Act.

Power to remove difficulties. 32. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty :

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Liability of State Government in the event of unforeseen acts.

33. The State Government shall not be liable for any claim by persons belonging to priority households or general households or other groups entitled under this Act for loss, damage, or compensation, whatsoever, arising out of failure of supply of food items or meals when such failure of supply is, either directly or indirectly, due to conditions such as, war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any act of God.

Act not in derogation of any other scheme or law.

34. The entitlements under this Act shall not be in any way derogatory of any other scheme or law made by the Parliament in this behalf.

SCHEDULE-I
(See section 3)

Entitlements of food items under Public Distribution System

S. No. (1)	Type of household (2)	Food items (3)	Monthly entitlement (4)	Consumer price (5)
1.	Antyodaya households	Foodgrain	35 kg per month	Rs. 1 per kg
		Iodized Salt	2 kg per household	Free
		Black gram*	2 kg per household	Rs. 5.00 per kg
		Pulses**	2 kg per household	Rs. 10.00 per kg
2.	Priority households	Foodgrain	35 kg per month	Rs. 2 per kg
		Iodized Salt	2 kg per household	Free
		Black gram*	2 kg per household	Rs. 5.00 per kg
		Pulses**	2 kg per household	Rs. 10.00 per kg
3.	General households	Foodgrain	15 kg per month	Rice Rs. 9.50 per kg For other foodgrain not exceeding 50% of the minimum support price.

Note :— (1) *Black gram entitlement shall extend to all antyodaya households and priority households residing in Scheduled areas of the State.

(2) ** Pulses entitlement shall extend to all Antyodaya households and priority households residing in non-scheduled areas of the State.".

SCHEDULE-II
[See sections 4 (a), 5 (1) and 7]

Nutritional Standards

Nutritional standards : The nutritional standards for children in the age group of 6 months to 3 years, age group of 3 to 6 years and pregnant and lactating women required to be met by providing 'Take Home Rations' or nutritious hot cooked meal or ready to eat meal in accordance with the Integrated Child Development Services Scheme and nutritional standards for children in lower and upper primary classes under the Mid Day Meal Scheme are as follows :

Serial number (1)	Category (2)	Type of meal (3)	Calories (Kcal) (4)	Protein (g) (5)
1.	Children (6 months to 3 years)	Take Home Ration	500	12-15
2.	Children (3 to 6 years)	Morning Snack and Hot Cooked Meal.	500	12-15
3.	Children (6 months to 6 years) who are malnourished.	Take Home Ration	800	20-25
4.	Lower primary classes	Hot Cooked Meal	450	12
5.	Upper primary classes	Hot Cooked Meal	700	20
6.	Pregnant and Lactating monthers.	Take Home Ration	600	18-20

Note :— 1. Energy Dense Food fortified with micronutrients as per 50 per cent of Recommended Dietary Allowance.

2. Meals shall be prepared in accordance with the prevailing Food Laws.

3. Nutritional standards are notified to provide balance diet and nutritious foods in terms of calories counts, protein value and micronutrients specified.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.